>

Title : Need to amend Dowry Prohibition Act for ensuring economic empowerment of women.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, जब किसी लड़की की शादी होती है तो वह एक नये घर में जाती है, जहां पर उसको कोई नहीं जानता है। यदि ससुराल में उसके ऊपर कोई अत्याचार होता है और इस बारे में जब वह अपने माता-पिता को बताती है तो अधिकतर मामलों में लड़कियों के माता-पिता लड़की को यह सलाह ही देते हैं कि वह अपने ससुराल में ही रहे। ऐसी स्थिति में महिला की हालत बहुत ही दयनीय हो जाती है और हालात यहां तक बढ़ जाते हैं कि या तो वह आत्महतया कर लेती है या फिर बाध्य होकर उसको घर छोड़ना पड़ता है। घर परित्याग करने की स्थिति में उसके सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। हालांकि महिलाओं को संरक्षण देने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी उनके हित के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध हे कि वह शादी के पूर्व लड़की के नाम की चल-अचल सम्पति और बैंक में जमा धनराशि को गोपनीय रखने एवं शादी के दौरान तथा शादी के पश्चात् चल-अचल सम्पति और बैंक में जमा धनराशि को घोषित न किए जाने से संबंधित दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन किए जाने हेतु आवश्यक कानून बनाये ताकि पीड़ित महिला आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक रूप से किसी के ऊपर आश्रित न रहकर अपना जीवन निर्वाह कर सके।